



Established by Ministry of Culture Govt. of Madhya Pradesh  
Recognised by UGC under section 2(F) & 12(B)

Sanchi University of Buddhist-Indic Studies

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

पृ.क्र. .... / साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि. / स्था. / 2022

दिनांक ..... / ..... / 2022

### आदेश

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 43 तथा साधारण परिषद् की तृतीय बैठक के एजेण्डा 14 के उपबिंदु (4) एवं (5) में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में "उपदान संदाय अधिनियम 1972" को अंगीकृत किया जाता है।

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 37 उपधारा (च) एवं उपदान संदाय अधिनियम 1972 की धारा 4क के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को विश्वविद्यालय में उपदान स्कीम की स्थापना हेतु नियुक्त किया जाता है। उपदान स्कीम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्थायी अधिकारी/कर्मचारी हेतु नियुक्ति दिनांक से प्रभावी होगी।

(कुलपति द्वारा अनुमोदित)

(प्रो.फे.अलकेश चतुर्वेदी)

कुलसचिव

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

191  
पृ.क्र. .... / साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि. / स्था. / 2022

दिनांक 25 01 / ..... / 2022

1. निज सचिव के माध्यम से कुलपति महोदया, साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी (स्थापना), साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ।
4. सहा.निदे.कम्प्यूटर प्रोग्रामर साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि. की ओर प्रेषित कर आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्थापना प्रभारी/वेतन लिपिक, स्थापना शाखा, साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आदेश नस्ती।

*Chaturvedi*  
25.01.2022

कुलसचिव

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय